रात्रि के दौरान महिलाओं को गिरफ्तार किये जाने संबंधी प्रक्रिया

3674. श्री संघप्रिय गौतम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं को रात में गिरफ्तार करने के संबंध में निर्धारित और प्रचलित नियम और प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या सरकार महिलाओं को रात में गिरफ्तारी को रोकने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी महिला की सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी का निषेध करने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-46 की उपधारा (4) नामक एक नई उपधारा जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है । प्रस्ताव, वर्तमान में, गृह मंत्रालय की संसदीय समिति के पास उनके विचारार्थ लंबित है ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा विचार किये गये मामले

3675. श्री संघप्रिय गौतम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा विचार किये गये मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आयोग के पास लंबित मामलों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) लंबित मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) आज तक की स्थिति के अनुसार ये मामले किस चरण में हैं; और

(ङ) इन पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) :

आयोग द्वारा विचार किए गए आयोग के पास लंबित मामलों मामलों की राज्यवार कुल संख्या की राज्यवार कुल संख्या

	1993–94	1994–95	1993–94	1994–95
1. आन्ध्र प्रदेश . .	17	1558	3	79
2. अरुणाचल प्रदेश .	—	1	—	1
3. असम . . .	11	47	6	31
4. बिहार . .	36	415	16	127
5. गोवा . . .	—	7	—	2
6. गुजरात . .	3	32	1	8
7. हरियाणा . .	7	134	—	39
8. हिमाचल प्रदेश . .	1	25	—	7

	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95
9. जम्मू और काश्मीर .	10	117	5	73
10. कर्नाटक . .	11	79	1	25
11. केरल . . .	25	105	2	29
12. मध्य प्रदेश . .	43	205	5	40
13. महाराष्ट्र . .	8	200	—	36
14. मणिपुर . .	3	13	1	9
15. मेघालय . .	2	9	—	4
16. मिजोरम . .	—	1	—	—
17. नागालैण्ड . . .	—	3	—	3
18. उड़ीसा . .	12	197	2	47
19. पंजाब . .	17	469	5	230
20. राजस्थान . .	24	207	4	55
21. सिक्किम . .	—	—	—	—
22. तमिलनाडु . .	61	599	8	194
23. त्रिपुरा . .	—	5	—	2
24. उत्तर प्रदेश . .	102	773	19	197
25. पश्चिमी बंगाल . .	15	109	5	35
26. अण्डमान और निकोबार .	2	2	—	—
27. चण्डीगढ़ . .	—	10	—	1
28. दादरा और नगर हवेली .	—	—	—	—
29. दमण और दीव . .	—	—	—	—
30. दिल्ली . .	45	376	1	107
31. लक्षद्वीप . .	—	2	—	2
32. पांडिचेरी . .	2	10	—	1
योग : .	457	5710	84	1284

चूंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना अक्टूबर, 1993 में की गई थी, अतः अक्टूबर, 1993 से 31 मार्च, 1995 तक के बारे में सूचना दी गई है। इन मामलों को मुख्य रूप से, हिरासत के दौरान मौतों, हिरासत के दौरान हुए बलात्कार/महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार, पुलिस ज्यादतियों तथा सशस्त्र सेना द्वारा की गई ज्यादतियों से सम्बद्ध श्रेणियों में रखा जा सकता है।

(घ) और (ङ) अधिकतर मामलों में संबंधित एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई हैं, जिनके प्राप्त हो जाने पर आयोग द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा।

Committee to Scrutinize Goa Freedom Fighters Applications

3676. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether Government propose to set up a committee to scrutinize applications of Goa freedom fighters for grant of pensions;

(b) if so, the details thereof and by when the committee is proposed to be set up;

(c) whether Government have also received any communication from some Members of Parliament in ths regard; and

(d) if so, the details thereof and the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED); (a) to (d) Government have recently received some communications requesting for constitution of a committee to scrutinize applications of Goa Freedom Fighters for grant of Freedom fighters' pension. The sufferings undergone by persons in connection with the Goa Liberation Movement have already been recognised for the purpose of grant of pension under the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme. This issue was examined earlier and it had been decided that there was no necessity to form a Committee to scrutinize the cases of persons connected with the Goa Liberation Movement as these cases are processed by applying the eligibility norms laid down in the Scheme.

Recovery of Antiques on Indo-Bangladesh Border

3077. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Border Security Force (BSF) has recently recovered rich haul of antiques in the Indo-Bangladesh border areas; and

(b) If so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE: IN THE. MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) and (b) Yes, Sir. The details of seizures are as follows:

Incoming

Year	Approximate value
1993.	Rs. 1,15,00,000 /-
1994.	Rs. 4,18,41,900/-
1995 (Upto 19 April, 1995)	Rs. 15,80,00,000/-

Outgoing

Year	Approximate Value
1993.	Rs. 90,70,492/-
1994.	Rs. 2,00,000/-
1995 (Upto 19 April, 1995)	Rs. 50,00,000/-

Total

Year	Approximate Value
1993.	Rs. 2,05,70,492/-
1994.	Rs. 4,20,41,900/-
1994 (Upto 19 April, 1995)	Rs. 16,30,00,000/-